



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeфроlko@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./09/42/2017/एफ.सी. 190

दिनांक:

15-6-18

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),  
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, उ० प्र०।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/25152/2017)

विषय: अमरोहा-कांठ मार्ग (MDR-150) किमी० 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 3036/अमरोहा/25152/2017,  
दिनांक- 01.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 54/अमरोहा/25152/2017,  
दिनांक- 07.07.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम,  
1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 07.03.2018 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार अमरोहा-कांठ मार्ग (MDR-150) किमी० 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (1.692x2= 3.384 ha.) 3.384 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघनस्वरूप प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात् (1.692x2= 3.384 ha.) 3.40 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

- (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
  - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी
  - प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश दिनांक 29.1.2018 के अनुसार दंडात्मक राशि का निर्धारण करते हुए राज्य सरकार द्वारा उसकी वसूली एवं अन्य वैधनिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को समस्त विवरण से अवगत करवाया जाएगा।
  - सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में अद्यतन सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
  - सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात प्रकरण में कार्यानुमति यदि निर्गत की जाती है तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। कार्यानुमति देने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए क्रमांक 6 में वर्णित शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
  - प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग, 6वां तल, बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा, उ० प्र०।
- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी एण्ड डी एस, उ० प्र० जल निगम, मुरादाबाद, उ० प्र०।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- आदेश पत्रावली

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक [केन्द्रीय]